न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बालोतरा जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : भागीरथराम, आर ए एस

मुकदमा नम्बर– 419/2016

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

बजाराम पुत्र हीराराम
जाति कलबी चौधरी
निवासी असाड़ा

राजस्थान सरकार जरीये
भूमिधारक, तहसीलदार
पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वास्ते करने लट्टा ट्रेस अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित – प्रार्थी स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 26-9-2017

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वास्ते करने लट्टा ट्रेस अनुसार रेकर्ड दुरूस्त करने का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा असाड़ा खसरा नम्बर 455, 456, 466, 2445/465 कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा, आया हुआ हैं । जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, टांके व लाटा आदि बना हुआ हैं, उक्त खसरान की जमाबन्दी की नकल चालू एवं आंशिक नक्शा साथ पेश हैं । प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पुस्तैनी हैं । जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त हैं, परन्तु लट्टा ट्रेस में व मौके पर मौजूदा कब्जा काश्त के राजस्व रेकर्ड में रकबा में अन्तर हैं, प्रार्थी के उपरोक्त खसरान की कुल भूमि बराबर हैं, लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरो में भूमि कम ज्यादा दर्ज की गयी हैं, राजस्व रेकर्ड में खसरों में दर्ज इन्द्राज गलत हैं ।

प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी खसरों के वास्तविक मौका स्थिति का राजस्व रेकर्ड की स्थिति निम्न प्रकार हैं :–

राजस्व रेकर्ड में (जमाबन्दी)		लट्टा ट्रेस रकबा	मौके पर रकबा
खसरा नं0	रकबा		
455	8.17	0.13	0.13
456	0.10	3.13	3.13
466	11.15	14.15	14.15
2445/465	15.05	17.06	17.06
कुल रकबा	36.07	36.07	36.07

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

... 2

Scanned by CamScanner

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि मौजा असाड़ा में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 455 मौजूदा रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 0.13 बीघा खसरा नम्बर 456 में मौजूदा रकबा 0.10 बीघा के स्थान पर 3.13 बीघा, खसरा नम्बर 466 में मौजूदा रकबा 11.15 बीघा के स्थान पर 14.15 बीघा व खसरा नम्बर 2445/465 के मौजूदा रकबा 15.05 बीघा के स्थान पर 17.06 बीघा का राजस्व रेकार्ड (जमाबन्दी) में दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावे ।

विप्रार्थी ने जबाव पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए बताया कि जमाबन्दी में दर्ज रकबा खसरा वार सही नहीं हैं, नक्शा में तरमीम व मौका स्थिति दोनो में एक रूपता हैं, अतः जमाबन्दी में नक्शा व मौका अनुसार रकबा दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं हैं । कुल रकबा में कोई अन्तर नहीं हैं ।

प्रार्थी व विप्रार्थी सरकारी पेरोकार नायब तहसीलदार जसोल के द्वारा बहस की गई । पेरोकार मौका रिर्पोट अनुसार रिकार्ड में शुद्वि किया जाना स्वीकार किया । हमने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव मौका रिर्पोट व संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यान पूर्व अध्ययन व अवलोकन किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं ।

अतः ग्राम असाड़ा के खसरा नम्बर 455 मौजूदा रकबा 8.17 बीघा के स्थान पर 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 456 के मौजूदा रकबा 0.10 बीधा के स्थान पर 3.13 बीघा, खसरा नम्बर 466 के मौजूदा रकबा 11.15 बीघा के स्थान पर 14.15 बीघा व खसरा नम्बर 2445/465 के मौजूदा रकबा 15.05 बीघा के स्थान पर 17.06 बीघा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड (जमाबन्दी) में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नक्शा लट्टा ट्रेस व मौके की स्थिति अनुसार सही रकबा दर्ज किया जावे । प्रार्थना पत्र व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 26-9-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Scanned by CamScanner